

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता,
अस्थाई खण्ड, लो0नि0वि0, थत्यूड, (टिहरी गढ़वाल)।



E-Mail- cepwdthatyur@rediffmail.com

Phone & Fax:- 01376-246321

पत्रांक :- 1385 /21सी0

दिनांक 27/09/2017

सेवामें,

प्रभागीय वनाधिकारी,
मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

विषय :- जनपद टिहरी गढ़वाल के विकास खण्ड जौनपुर ब्लॉक के अन्तर्गत रिंगालगढ से दड़क मोटर के (कुल लम्बाई 03 कि0मी0) के निर्माण हेतु आयोजित 2.295 हे0 वन भूमि का वन (संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्यो हेतु लोक निर्माण विभाग अस्थाई खण्ड थत्यूड को प्रत्यावर्तन।

सन्दर्भ :- आपका पत्रांक 890/ दिनांक मसूरी 11.09.2017।
महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र का अवलोकन करने का कष्ट करें जिसमें उक्त मोटर मार्ग वनभूमि प्रकरण में प्रस्तावित मार्ग संमरखण की आरक्षित वनभूमि की रिंगालगढ कक्ष सं0 04 के अलावा अन्य कक्ष सं0 03 में भी प्रदर्शित किया गया है जबकि आरक्षित वन भूमि के लैण्ड शूडयूल में मात्र रिंगालगढ कक्ष सं0 04 को ही दिखाये जाने का उल्लेख किया गया है। इस सम्बन्ध में अवगत कराना है कि इस खण्ड के कनिष्ठ अभियन्ता श्री अनुराग त्रिपाठी द्वारा सम्बन्धित वन क्षेत्राधिकारी कार्यालय में सम्पर्क किया गया था जिसके उपरान्त इस सम्बन्ध में रेंज कार्यालय द्वारा उक्त सूचना संशोधित कर अपने कार्यालय का पत्रांक 563/12-1 किदूवाला दिनांक 11.01.2017 के द्वारा आपके कार्यालय को संशोधित प्रपत्र प्रेषित कर दिया गया है। जिसमें लैण्ड शूडयूल कक्ष सं0 वार बना दिया गया है तथा पेडों की संख्या भी कक्ष सं0 वार प्रदर्शित की जा चुकी है जिसकी छायाप्रति आपको आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित की जा रही है।

अतः अनुरोध है कि उपरोक्तानुसार लैण्ड शूडयूल प्रपत्र व आरक्षित वन में बाधक वृक्षों की सूची कक्ष संख्या वार की 05 मूल प्रतियां इस कार्यालय को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।

अतः सूचनार्थ प्रेषित।

संलग्न:- उपरोक्तानुसार।

(इं0 रजनीश कुमार)

अधिशासी अभियन्ता

अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0

थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)।

पत्रांक :- /21सी0

दिनांक / /2017

प्रतिलिपि :- 1. खण्डीय नोडल अधिकारी वनभूमि प्रकरण को सूचनार्थ प्रेषित।
2. सहायक अभियन्ता चतुर्थ, अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0 थत्यूड को सूचनार्थ प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो0नि0वि0
थत्यूड (टिहरी गढ़वाल)।

कार्यालय वन क्षेत्राधिकारी, रायपुर रेंज, किददूवाला, देहरादून।

पत्रांक- 563/12-4, किददूवाला, दिनांक, 11 जनवरी, 2017.

सेवा में,

प्रभागीय वनाधिकारी

मसूरी वन प्रभाग, मसूरी।

द्वारा- उप प्रभागीय वनाधिकारी, देहरादून
मसूरी वन प्रभाग।

विषय- जनपद-टिहरी गढ़वाल के जौनपुर ब्लॉक अन्तर्गत रिंगालगढ़ से दड़क मोटर मार्ग
के (कुल लम्बाई 3.00 किमी०) के निर्माण हेतु अपेक्षित 2.295 है० वन भूमि का वन
(संरक्षण) अधिनियम 1980 के तहत गैर वानिकी कार्य हेतु ला०वि०वि० अर्थात्
खण्ड, थट्यूड को प्रत्यावर्तन का प्रस्ताव।

संदर्भ- आपका पत्रांक-सं० 1434/12-1, दिनांक-20-10-2016.

महोदय,

उपरोक्त सन्दर्भित पत्र के अनुपालन में निवेदन करना है कि निम्नलिखित प्रकरण की प्रतीति
सूचना बिन्दुवार निम्न प्रकार प्रेषित है-

1. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)
2. प्रस्ताव में वरुपा डिजिटल मानचित्र 1:50000 में प्रस्तावित मार्ग के समरेखण के अनुसार अपेक्षित
वन भूमि का लैण्ड 'शेडयूत निर्धारित प्रपत्र में अंकित कर तीन प्रतियों में सलग्न कर प्रेषित है।
मोटर मार्ग निर्माण में बाधक वृक्षों की सूची आरक्षित वन कक्षावार मध्य मूल्यांकन के तीन प्रतियों में
सलग्न है।
3. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)
4. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)
5. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)
6. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)
7. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)
8. रेंज स्तर की कार्यवाही नहीं है। (प्रस्तावक विभाग के स्तर से आपेक्षित है)

अतः आवश्यक कार्यवाही हेतु सेवा में प्रेषित है।

भवदीय

(ए० एस० गुसाई)

वन क्षेत्राधिकारी,

रायपुर रेंज

शैड्यूल आरक्षित वन भूमि
मार्ग का नाम:- रिगालगढ से दढक मोटर मार्ग का निर्माण।

क्र.सं.	भूमि की किस्म	कम्पार्टमेन्ट सं०	क्षेत्रफल लम्बाई	चौड़ाई	कुल क्षेत्रफल (है० में)	टिप्पणी
1	आरक्षित वन	रिगालगढ				
		कक्ष सं०-4	1550 मी०	9 मी०	1.395	
		रिगालगढ				
		कक्ष सं०-3	900 मी०	9 मी०	9.810	
		योग-	2450 मी०	9 मी०	2.205	

[Signature]
विभागाध्यक्ष
रिगालगढ

कुल आरक्षित वन भूमि- 2.205 हैक्टर

[Signature]
(शुद्ध प्रमाणित)
वन विभाग

156 से 157 तक 3 कि०मी० प्रस्तावित मोटरमार्ग में रिजालगाव काला 3 में उपरि लिखित वला में वाहक की रकम

प्रस्तावित पथ	पथ (मिटर)	प्रस्तावित की (नं०)	22 प्रती रु०	कुल राशि
लीड	30-40	01	2796=00	2796=00
"	40-50	02	6084=00	12168=00
बीज	10-20	03	180=00	540=00
बुराडा	10-20	01	108=00	108=00
"	20-30	03	252=00	756=00
"	30-40	01	348=00	348=00
मोटर	10-20	01	108=00	108=00
"	20-30	01	252=00	252=00
	210	13	-	17076=00

Forward -

मिनिस्ट्र शिवर)

वी० अ० रिजालगाव

बम बम, रिजालगाव
मोटरमार्ग, रिजालगाव
मोटरमार्ग, रिजालगाव

(श्री) अ० प्रताप फेडरली
मोटरमार्ग, रिजालगाव

0 है स
इरी
री,
से

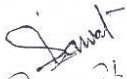
चार
एच

द।
मी०सी०

गोलागढ़ से जाम दंडक तक 3 कि.मी. प्रस्तावित मोटर मार्ग में रिहालागढ़ कां.नं.4
= अंतरिक्ष वन में वृक्षों की सूची

वृक्षों की प्रजाति	व्यास वर्ग	वृक्षों की संख्या	पर्याप्त रुखें	कुल रुखांश
1- चीड़	10-20	02	228=00	576=00
— " —	20-30	02	720=00	1440=00
— " —	30-40	05	2796=00	13980=00
— " —	40-50	05	6084=00	30420=00
— " —	50-60	06	10278=00	61668=00
— " —	60-70	06	15762=00	94572=00
2- लोखंड	10-20	14	180=00	2520=00
— " —	60-70	01	3168=00	3168=00
— " —	70-80	01	4386=00	4386=00
3- कुशी	10-20	17	108=00	1836=00
— " —	20-30	10	252=00	2520=00
— " —	40-50	03	612=00	1836=00
— " —	50-60	01	840=00	840=00
4- स्याही	10-20	07	108=00	756=00
— " —	20-30	03	252=00	756=00
5- कायला	10-20	06	108=00	648=00
— " —	20-30	05	252=00	1260=00
6- लोखंड (अच्छा)	10-20	01	108=00	108=00
योग		95	7	223200=00


वन विभाग
राजपुर रोड,
गोलागढ़


(रिहालागढ़ सेवन) (21-12-1954 पर्यंत)
वन विभाग अधिकारी रिहालागढ़ वन विभाग
सं. 0 गोलागढ़